

निसल नम्बर- 405/18 तारीक रजु 15.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का..... बंनाम

श्री 245234 पुत्र 2451 जाति 222 निवासी 245323 तहसील 222

### अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

दिनांक:- 6.3.18

निर्णय:-

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री 245234 ने ग्राम 245323 को भूमि ख.न. 481 रकबा 0.25 किस्म 245323 फसल 245323 रबी/खरीफ संवत 2074 में 245323 कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (क) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 481 रकबा 0.25 किस्म 245323 वाके ग्राम 245323 से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5000 का 50 गुणा 2500 शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल 245323 को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 112 पर  
वर्ष 2017-18 में पंजिका/पत्रावली नीलामी  
की शर्तित राशि रुपये 25000/- के  
की जमा कारवाई की गई।  
दिनांक 12/3/18 तहसील 222 लेखाकार  
तहसील-महवा

मांग 16  
नायब तहसीलदार  
महवा (दौसा)